



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21012026-269494
CG-DL-E-21012026-269494

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 304]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 21, 2026/माघ 1, 1947

No. 304]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 21, 2026/MAGHA 1, 1947

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 जनवरी, 2026

का.आ. 332(अ).— आयकर अधिनियम, 1961 (43 of 1961) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए, 'कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी' (पैन- AACAK0581H), कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक निकाय को, निम्नलिखित निर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, यथा:

- (क) केन्द्र सरकार से प्राप्त अनुदान;
- (ख) कर्नाटक राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान; और
- (ग) बैंक जमाओं पर अर्जित ब्याज।

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि कर्नाटक स्टेट रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी –
- (क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगी;
 - (ख) गतिविधियां तथा निर्धारित आय की प्रकृति पूरे वर्ष अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4सी) के खंड (जी) के प्रावधान के अनुसार आयकर विवरणी दाखिल करेगा।

2.1 इन शर्तों का अनुपालन न करने पर आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई शुरू की जा सकती है और अधिनियम की धारा 10(46) के तहत दी गई छूट वापस ली जा सकती है।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2023-24, 2024-25 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2024-25, 2025-26 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-26, 2026-27 और 2027-28 से संबंधित कर निर्धारण वर्ष क्रमशः 2026-27, 2027-28 और 2028-29 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 11 /2026/फा. सं. 300196/65/2024-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

स्पष्टीकरण-ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से (बोर्ड/विभाग के समक्ष आवेदन किए जाने के वर्ष से प्रभावी) किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)
NOTIFICATION

New Delhi, the 21st January, 2026

S.O. 332(E).— In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society' (PAN AACAK0581H), a body constituted by the Government of Karnataka, in respect of the following specified income arising to the said body namely, as follows:

- (a) Grants received from the Central Government;
- (b) Grants received from the State Government of Karnataka; and
- (c) Interest earned on bank deposits.

2. This notification shall be effective subject to the conditions that Karnataka State Rural Livelihood Promotion Society –

- (a) shall not engage in any commercial activity;
- (b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and
- (c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

2.1 Failure to comply with these conditions may result in the initiation of penal actions under the provisions of the Income Tax Act, 1961, and withdrawal of the exemption granted u/s 10(46) of the Act.

3. This notification shall be deemed to have been applied for the assessment years 2024-25, 2025-26 relevant to the financial years 2023-24, 2024-25 and shall be applicable for assessment years 2026-27, 2027-28 & 2028-29 relevant to the financial years 2025-26, 2026-27 & 2027-28.

[Notification No. 11 /2026/F. No. 300196/65/2024-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect [with effect from the year of application made before the Board/Department] to this notification.